राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या .326/2017..जिला...........बीकानेर...

उनवान – मैसर्स ड्यूनेक मोटर्स प्रा0लि0, बीकानेर बनाम सहायक आयुक्त, विशेष वृत, बीकानेर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.03.2017	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री नत्थूराम, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री ओ.पी.दौसाया एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल पोखरणा उपस्थित। यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.01.2017 वित्तीय वर्ष 2013–14, अन्तर्गत धारा 26 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 33 के तहत् कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित मांग राशि रू0 3,09,56,518/– की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया। जिसके विरूद्व यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 38(4)/83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उभयपक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण अपने आदेशों में अंकित नहीं किया है। कर निर्धारण अधिकारी ने बिना किसी प्रकार की जांच किये विवादित राशि की बिक्री किया जाना प्रमाणित किये बिना भारी मात्रा में करारोपण किया है जो अविधिक है। व्यवहारी को इस वित्तीय वर्ष 2013–14 में आर्थिक नुकसान हुआ है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मांग राशि के संबंध में उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण एवम् सुबिधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशि रूपये 3,09,56,518/– की वसूली अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निस्तारण तक रोक लगाने की प्रार्थना की गयी। उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 09.01.2017 का समर्थन करते हुए अपीलार्थी की यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। **लगातार..............2**	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 326/2017..जिला...........बीकानेर..

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02/03/2017	उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने बिना किसी प्रकार की जांच किये विवादित राशि की बिक्री किया जाना प्रमाणित किये बिना भारी मात्रा में व्यवहारी पर करारोपण किया है। इसी व्यवहारी के अन्य प्रकरण **माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ अपील संख्या 2235 /2016/बीकानेर मैसर्स डयूनेक ऑटो मोबाईल्स प्रा0लि0, बीकानेर बनाम सहायक आयुक्त निर्णय दिनांक 21.10.2016** में अधिनियम की धारा 38(4) के तहत स्थगन प्राप्त है। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण की मूल अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित है एवं अपीलार्थी व्यवहारी के अधिवक्ता का यह कथन की व्यवहारी को इस वित्तीय वर्ष 2013–14 में आर्थिक नुकसान हुआ है आदि तथ्यों का अवलोकन के पश्चात प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रकरण में विवादित राशि रूपये 3,09,56,518/– की वसूली कार्यवाही पर इस शर्त पर रोक लगाई जाती है कि अपीलार्थी व्यवहारी निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप (Adequate Security) 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे। शर्तो का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। 7. अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। 8. आदेश प्रसारित किया गया। (नत्थूराम) सदस्य 2.3.2017 (मदन लाल) सदस्य	